तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.60/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
31.5.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी देवपाल सिंह पुत्र सवाई सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– गोगुन्दा निकोर,, तहसील– गोगुंदा, जिला– उदयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म किस्मत मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही, जिला– सिरोही एवं विष्णु कुमार रावल पुत्र पूराराम रावल, निवासी– चन्द्राई माता की गली, 18 को उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा अस्वीकृत करने के पारित पारित आदेश दिनांक 27.2.2011 से ▯ ▯ ार्केटिंग, नगर परिषद्, सिरोही, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.2020 को फर्म किस्मत मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर देवपाल सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1326 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1067/Act/2020/42 दिनांक 06.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने से प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथी 23.5.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.12.2020 को सायं 3.00 [illegible] मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही, जिला– [illegible] गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] देवपाल सिंह पुत्र सवाई सिंह, जाति– राजपूत, [illegible] निकोर, तहसील– गोगुन्दा, जिला– उदयपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता [illegible] .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

अ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.60/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अचार (पंचवटी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर देवपाल सिंह को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के 19 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं अचार (पंचवटी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 360/– (रुपये तीन सौ साठ मात्र) विक्रेता देवपाल सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1326, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के मूल लेबल को लगाया। चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/मैनेजर देवपाल सिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर मैनेजर/विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर ... को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ... को नमूनें का एक भाग ... लिफाफा भावना देवी, वार्ड ... कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला न्यायालय सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.60/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 15.12.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म किस्मत मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता देवपाल सिंह से खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1326 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1067/Act/2020/42 दिनांक 06.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी देवपाल सिंह जो कि फर्म किस्मत मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही में मैनेजर की हैसियत से कार्यरत है, जबकि फर्म किस्म मार्केटिंग, नगर परिषद् के पास, सिरोही का प्रोपराईटर प्रतिवादी विष्णु कुमार रावल है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के खरीद का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विष्णु कुमार रावल दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ अचार (पंचवटी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विष्णु कुमार रावल पुत्र श्री पूराराम रावल, जाति– रावल, निवासी– चन्द्राई माता की गली, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी विष्णु कुमार रावल को आदेशित किया जाता है कि आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरो[illegible] के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय [illegible] प्रति [illegible]वेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी [illegible] जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. [illegible] दिनांक [illegible]2022 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.